No. GA-38/1/2016-GENERAL (21374)
Government of India
Ministry of Women and Child Development

Shastri Bhawan, New Delhi
Date: 29.10.2024

Subject: Tender notice for disposal of obsolete/unserviceable furniture/office equipment/ scrap and other items.

Sealed tenders are invited for disposal of obsolete/unserviceable furniture/office equipment/ scrap and other items etc. on "as is where is" basis (list of items is enclosed).

2. The above items are located in the Garages/premises of Jeevan Deep and Jeevan Tara Buildings, Sansad Marg, New Delhi - 110001. Details of contact person for inspection, other details i.e. Date, time and place for inspection & acceptance of tender are as under: -

Date & Time for inspection of items	04.11.2024 to 05.11.2024 (between 2:30 pm to 4:30 PM)

Contact Persons - Shri Dwarika Singh, Caretaker (General), Shastri Bhawan, New Delhi 110 001, Tele No. 23382972

Tender Guidelines available at: www.wcd.gov.in

Date, time and place for acceptance of tender	In the tender box kept at wall mount at CR section, Garage No. 17, Ministry of Women and Child Development, Shastri Bhawan, New Delhi during office hours upto 5:30 pm on or before 08.11.2024

Date & Time for opening of tender 11.11.2024 at 3:00 P.M.

An EMD for Rs. 15,000/- (Rupees Fifteen Thousand only) should be deposited with the tender in the form of an Account Payee Bank Draft/ Pay Order from Nationalized Bank in favour of "Pay & Accounts Officer, Ministry of Women & Child Development, payable at New Delhi.

General Terms & Conditions:

Bidders may inspect the items on the stipulated date & time.

1. The items shall be sold to the highest bidder. The bids are invited for the lot (i.e. all the items contained in the list of obsolete/unserviceable furniture/ office equipment/scrap and other items as a whole and no bid would be accepted for any part of the same.

2. The handling/ disposal of IT & Telecom related equipment such as computers, printers, fax machines, telephone instruments, photocopiers, etc. as per the latest guidelines/ instructions of Ministry of Environment & Forests and its related agencies shall be the sole responsibility of the bidder(s). The bidder(s) participating in auction of e-waste materials shall be registered with the Govt. Agency as per the E-Waste Management & Handling Rules, 2011 published by the Ministry of Environment & Forests, Govt. of India vide their Notification dated 12.05.2011.

29/10/2024

3. The Earnest Money Deposit (EMD) of successful bidder shall be adjusted from the total payment.

4. The successful bidder has to make full balance payment, after due adjustment of the EMD, in the form of Demand Draft in favour of "Pay & Accounts Officer, Ministry of Women & Child Development, payable at New Delhi" within three days after confirmation, failing which the offer will be cancelled and the EMD shall stand forfeited. The EMD of unsuccessful bidders shall be returned within one month after the auction date, without any interest.

5. No item once disposed to the successful bidder shall be taken back by this Ministry on any condition whatsoever.

6. The successful bidder will be required to lift all the items from the disposal site within three working days after the payment of the balance amount. On failure to do so this Ministry shall have the right to forfeit the entire amount of the bidder and dispose the items to alternate bidder. The successful bidder, on their own cost, will also be required to make their own arrangement of transport, labour etc. for lifting the disposed items.

7. Quotation letter in sealed envelope marked "TENDER FOR DISPOSAL OF OBSOLETE/UNSERVICABLE FURNITURE/OFFICE EQUIPMENT/ SCRAP AND OTHER ITEMS" should be addressed to Shri Kumar Kalikanand, Under Secretary (General) Room No. 621 A' (cabin), Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi - 110 001.

8. The quotation must be dropped in the tender box mounted inside Garage No. 17, Shastri Bhavan, New Delhi on or before the due date and time otherwise it is liable to be rejected. Tenders received after the due date and time due to any reason whatsoever shall not be considered.

9. The financial bid should be given in both in figures and words. Any overwriting or erasing in the figures shall not be considered for acceptance of the rates offered by the tenderer.

10. Each page of tender document should be signed by the bidders(s). Incomplete and unsigned quotations are liable to be rejected.

11. The bid is to be submitted for the entire lot, as mentioned in SI. No. 2 above in this section. Bidder must enclose copy of address proof (Voter I-card/ Aadhar Card/ Driving Licence etc.) and PAN Card along with his bid.

12. The earnest money deposit (EMD) of Rs. 15,000/- (Rupees Fifteen Thousand only) must accompany the quotation, without which the relevant bid shall be summarily rejected.

13. Ministry reserves the right to accept or reject any/ all quotations without assigning any reasons whatsoever.

29/10/2024

(Kumar Kalikanand)
Under Secretary to the Government of India

Government of India
Ministry of Women and Child Development
*****

List of items for disposal:

S. No.	Name of the item	Quantity
1.	Laptop	12
2.	Scanner	02
3.	CPU	60
4.	TFT	58
5.	Printer	60
6.	Photocopier	04
7.	Split Air Conditioner	6
8.	Split Air Conditioner (indoor unit)	1
9.	Refrigerator	2
10.	Water Dispenser	12
11.	Table with Glass	1
12.	Table	2
13.	Chair	17
14.	Side Table	1
15.	Sofa Set (1+2+3)	9
16.	Iron Bench (3 seater)	2
17.	Iron Drawer	1
18.	Centre Table with Glass	2
19.	Oil Heater	2
20.	Electric Kettle	4
21.	Hot Case	1
22.	Pedestal Fan	2

29/10/2024

23.	Extension Board	8
24.	Paper Shredder Machine	3
25.	Coffee Machine	1
26.	Sanitizer Machine	1
27.	LED TV	3
28.	Microwave Oven	1
29.	Heater	2
30.	Sanitary Pad Machine	1

29/10/2024

सं. जीए-38/1/2016-सामान्य (21374)

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

*****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 29.10.2024

विषय: पुराने/अनुपयोगी फर्नीचर/कार्यालय उपकरण/स्क्रैप तथा अन्य वस्तुओं के निपटान हेतु निविदा सूचना।

पुराने/अनुपयोगी फर्नीचर/कार्यालय उपकरण/स्क्रैप तथा अन्य वस्तुओं इत्यादि के निपटान हेतु "जैसा है, जहां है" आधार पर मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं (वस्तुओं की सूची संलग्न है)।

2. उपरोक्त वस्तुएं जीवन दीप तथा जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 के गैरेज/परिसर में हैं। निरीक्षण के लिए संपर्क व्यक्ति का विवरण, अन्य विवरण अर्थात् निरीक्षण तथा निविदा की स्वीकृति के लिए तिथि, समय तथा स्थान निम्नानुसार हैं: -

वस्तुओं के निरीक्षण की तिथि एवं समय	दिनांक 04.11.2024 से 05.11.2024 (दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच)

संपर्क व्यक्ति - श्री द्वारिका सिंह, केयरटेकर (सामान्य), शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110 001, दूरभाष संख्या 23382972

निविदा दिशानिर्देश www.wcd.gov.in पर यहां उपलब्ध हैं

निविदा स्वीकृति की तिथि, समय और स्थान	सीआर सेक्शन, गैराज नंबर 17, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में दीवार पर रखे गए टेंडर बॉक्स में कार्यालय समय के दौरान 08.11.2024 को या उससे पहले शाम 5:30 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि एवं समय 11.11.2024 अपराह्न 3:00 बजे।

"वेतन एवं लेखा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय 15,000/- रुपये (पंद्रह हजार रुपये मात्र) की ईएमडी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक से अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में " निविदा के साथ जमा की जानी चाहिए।

29/10/2024

कुमार कालिकानंद/Kumar Kalikanand
अवर सचिव/Under Secretary
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सामान्य नियम एवं शर्तें:

बोलीदाता निर्धारित तिथि एवं समय पर वस्तुओं का निरीक्षण कर सकते हैं।

1. वस्तुओं को उच्चतम बोली लगाने वाले को बेचा जाएगा। बोलियां ढेर/लॉट के लिए आमंत्रित की जाती हैं (अर्थात पुराने/अनुपयोगी फर्नीचर/कार्यालय उपकरण/स्क्रैप और अन्य वस्तुओं की सूची में शामिल सभी वस्तुएं) और इसके किसी भी हिस्से के लिए कोई बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।

2. पर्यावरण और वन मंत्रालय एवं उसकी संबंधित एजेंसियों के नवीनतम दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार आईटी और दूरसंचार से संबंधित उपकरणों जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, टेलीफोन उपकरण, फोटोकॉपियर इत्यादि की हैंडलिंग/निपटान बोलीदाता(ओं) की पूरी जिम्मेदारी होगी। ई-कचरा सामग्री की नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता(ओं) को पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनकी अधिसूचना दिनांक 12.05.2011 के अनुसार प्रकाशित ई-कचरा प्रबंधन और हैंडलिंग नियम, 2011 के अनुसार सरकारी एजेंसी के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

3. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (ईएमडी) कुल भुगतान से समायोजित की जाएगी।

4. सफल बोलीदाता को ईएमडी के उचित समायोजन के बाद, डिमांड के रूप में शेष राशि का पूर्ण रूप से भुगतान करना होगा। निविदा की पुष्टि के तीन दिन के भीतर "वेतन एवं लेखा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली में देय" के पक्ष में ड्राफ्ट जमा करना होगा, अन्यथा प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा और ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी नीलामी तिथि के एक महीने के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

5. सफल बोलीदाता को एक बार कोई भी वस्तु बेच दिए जाने के बाद इस मंत्रालय द्वारा किसी भी शर्त पर वापस नहीं ली जाएगी।

6. सफल बोलीदाता को शेष राशि के भुगतान के बाद तीन कार्य दिवसों के भीतर निपटान स्थल से सभी वस्तुओं को उठाना होगा। ऐसा न करने पर इस मंत्रालय को बोलीदाता की पूरी राशि जब्त करने और वस्तुओं को दूसरे बोलीदाता को बेचने का अधिकार होगा। सफल बोलीदाता को अपने खर्च पर बेची गई वस्तुओं को उठाने के लिए परिवहन, मजदूर इत्यादि की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी।

7. "पुराने/अनुपयोगी फर्नीचर/कार्यालय उपकरण/स्क्रैप और अन्य वस्तुओं के निपटान के लिए निविदा" अंकित सीलबंद लिफाफे में कोटेशन पत्र श्री कुमार कालिकानंद, अवर सचिव (सामान्य) कमरा संख्या 621 ए' (केबिन), शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110 001 को संबोधित किया जाना चाहिए।

8. कोटेशन को गैरेज संख्या 17, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के अंदर लगे टेंडर बॉक्स में नियत तिथि और समय पर या उससे पहले डालना होगा अन्यथा इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी भी कारण से नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. वित्तीय बोली अंकों और शब्दों दोनों में दी जानी चाहिए। अंकों में किसी भी तरह की ओवरराइटिंग या मिटाने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित दरों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

29/10/2024

कुमार कालिकानंद/Kumar Kalikanand
अवर सचिव/Under Secretary
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

10. निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अपूर्ण और हस्ताक्षर रहित कोटेशन अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

11. बोली पूरे ढेर/लॉट के लिए प्रस्तुत की जानी है, जैसा कि इस खंड में ऊपर क्रम संख्या 2 में उल्लेख किया गया है। बोलीदाता को अपनी बोली के साथ पते के प्रमाण (वोटर आई-कार्ड/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि) और पैन कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी।

12. कोटेशन के साथ 15,000/- (केवल पंद्रह हजार रुपये) की बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी जिसके बिना संबंधित बोली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

13. मंत्रालय के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी/सभी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

29/10/2024

(कुमार कालिकानंद)

अवर सचिव, भारत सरकार

कुमार कालिकानंद/Kumar Kalikanand
अवर सचिव/Under Secretary
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

*****

निपटान हेतु वस्तुओं की सूची:

क्र.सं.	आइटम का नाम	मात्रा
1.	लैपटॉप	12
2.	स्कैनर	02
3.	सीपीयू	60
4.	टीएफटी	58
5.	प्रिंटर	60
6.	फोटोकॉपियर	04
7.	स्प्लिट एयर कंडीशनर	6
8.	स्प्लिट एयर कंडीशनर (इनडोर यूनिट)	1
9.	रेफ्रिजरेटर	2
10.	वाटर डिस्पेंसर	12
11.	ग्लास वाला टेबल	1
12.	टेबल	2
13.	कुर्सी	17
14.	साइड टेबल	1
15.	सोफा सेट (1+2+3)	9
16.	आयरन बेंच (3 सीटर)	2
17.	आयरन ड्रॉअर	1

29/10/2024

कुमार कालिकानंद/Kumar Kalikanand
अवर सचिव/Under Secretary
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

18.	ग्लास वाला सेंटर टेबल	2
19.	ऑयल हीटर	2
20.	इलेक्ट्रिक केटल	4
21.	हॉट केस	1
22.	पेडस्टल फैन	2
23.	एक्सटेंशन बोर्ड	8
24.	पेपर कतरन वाली मशीन	3
25.	कॉफी मशीन	1
26.	सैनिटाइजर मशीन	1
27.	एलईडी टीवी	3
28.	माइक्रोवेव ओवन	1
29.	हीटर	2
30.	सैनिटरी पैड मशीन	1

29/10/2024

कुमार कालिकानंद/Kumar Kalikanand
अवर सचिव/Under Secretary
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi